संख्या- 2023/001-2389422023

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक 18 जुलाई, 2023

विषयः- जनपद चित्रकूट के स्पोर्टस स्टेडियम में बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाल के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-467/नि0 चित्रकूट स्टे0/2023-24, दिनांक 17.07.2023 एवं शासनादेश संख्या-2022/001/420100200282021, दिनांक 11.08.2022 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चित्रकूट के स्पोर्टस स्टेडियम में बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाल के निर्माण हेतु प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा उक्त की आंकलित लागत रू0 495.22 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष- 2022-23 के बजट में व्यवस्थित धनराशि रू0 400.00 लाख के सापेक्ष रू0 247.61 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवशेष देय सम्पूर्ण धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक " 4202-शिक्षा, खेलकूद, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय- 03 - खेलकूद तथा युवा सेवा - 102 खेलकूद स्टेडिया 05-जनपद चित्रकूट में स्पोर्टस स्टेडियम 0501 - बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाल का निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 269.07 में से रू0 2,47,61,000 (रुपये दो करोड़ सैंतालीस सैंतालीस लाख इकसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 2,47,61,000 (रुपये दो करोड़ सैंतालीस लाख इकसठ हजार मात्र) निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित करते हुए वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.03.2023 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यदायी संस्था यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (30 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) को उपलब्ध उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी०एल०ए०/खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.03.2023 में निर्धारित शर्तो का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि एवं स्वीकृत लागत में ही अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का पुनः कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(5) प्रायोजना प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) कार्य की विशिष्टियाँ मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(9) प्रायोजना के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।

(10) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त कार्यो की ड्राइंग को आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(11) निदेशक, खेल द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। (12) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

(13) प्रायोजना की लागत आंकलन में 12 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य की गयी है। निदेशक, खेल द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / निदेशक, खेल का होगा।

(15) प्रायोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(16) प्रश्नगत परियोजना हेतु निदेशक, खेल, उ0 प्र0 अपनी अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर, उक्त कार्य समिति की देख-रेख में करायेंगे।

(17) प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

(18) निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के ही कार्य कराया जायेगा।

(19) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था की होगी तथा निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो हो जायेगा।

(20) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(21) स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(22) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में प्रशासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(23) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(24) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था होगा।

(25) शासनादेश संख्या-2022/001/420100200282021, दिनांक 11.08.2022 में उल्लिखित शेष अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,47,61,000 (रुपये दो करोड़ सैंतालीस लाख इकसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 4202031020501 बहुउददेशीय क्रीड़ाहाल का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस- 2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2023/001-2389422023, तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय 30 प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, चित्रकूट ।
5- क्रीडा अधिकारी, चित्रकूट ।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (30 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति ।

आज्ञा से,
विनीत प्रकाश
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।